न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —113/2019

1. हरिकृष्ण पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. भागीरथ पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. राकेश पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:—वादीगण

ब ना म

1. खेताराम पुत्र हेतराम (खेता पुत्र हेता) जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा
2. कमला पत्नी विजयपाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. हंसराज पुत्र विजयपाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
4. चन्द्रकला पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. अनसुई पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
6. सुमन पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण मुशीराम गोस्वामी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 20/17 के मु0 न0 42 के किला न0 23, 24 मु0 न0 44 के किला न0 16, मु0 न0 45 के किला न0 1 ता 25 मु0 न0 46 के किला न0 10, 11, 20 व 24 कुल 8.096है0 नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है, उसमें वादीगण संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादभूमि में से प्रतिवादी सं. 1 व 3 ता 6 के द्वारा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —113/2019

अनवान : —

1. हरिकृष्ण पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. भागीरथ पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. राकेश पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

— **वादीगण**

ब ना म

1. खेताराम पुत्र हेतराम (खेता पुत्र हेता) जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा
2. कमला पत्नी विजयपाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. हंसराज पुत्र विजयपाल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
4. चन्द्रकला पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
5. अनसुई पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
6. सुमन पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री विकम शर्मा वकील **वादीगण**
श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **प्रतिवादीगण**

दिनांकः 28/02/202

निर्णय

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 20/17 के मु0 न0 42 के किला न0 23, 24 मु0 न0 44 के किला न0 16, मु0 न0 45 के किला न0 1 ता 25 मु0 न0 46 के किला न0 10, 11, 20 व 24 कुल 8.096है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वदीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा हेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। हेतराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी खेताराम के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1, 4 ता 6 तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पति/ पिता विजयपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी खेताराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी खेताराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी खेताराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एवं वादीगण ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी हरिकृष्ण पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलखेडा प्रदर्श 1, जमाबंदी वादभूमि चक 1 एसडीआर संवत 2074–77 प्रदर्श 2, व संवत 2016 की जमाबंदी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी चक 1 एसडीआर के खाता सं0 20/17 के मु0 न0 42 के किला न0 23, 24 मु0 न0 44 के किला न0 16, मु0 न0 45 के किला न0 1 ता 25 मु0 न0 46 के किला न0 10, 11, 20 व 24 कुल 8.096है0 नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी दर्ज है। भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 20/17 के मु0 न0 42 के किला न0 23, 24 मु0 न0 44 के किला न0 16, मु0 न0 45 के किला न0 1 ता 25 मु0 न0 46 के किला न0 10, 11, 20 व 24 कुल 8.096है0 नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है, उसमें वादीगण संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा के व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादभूमि में से प्रतिवादी सं. 1 व 3 ता 6 के द्वारा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (राज.)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 11:10:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: